

दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश

प्रलमिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण, केयरगिस पोर्टल, कशिशर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधनियम, 2015](#)

मेन्स के लयि:

भारत में बाल दत्तक ग्रहण और संबधति मुद्दे, बच्चों से संबधति मुद्दे

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हाल ही में एक [गैर-सरकारी संगठन \(NGO\)](#) द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए [देश में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और इसे सरल बनाने के लयि](#) केंद्र, राज्य और केंद्रशासति प्रदेशों को कई नरिदेश जारी कयि हैं।

- न्यायालय ने दत्तक ग्रहण की कम दर और स्थायी परिवार के बनिा बाल देखभाल संस्थानों (CCI) में बड़ी संख्या में रहने वाले बच्चों को लेकर भी चतिा व्यक्त की है।

दत्तक ग्रहण के वषिय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

- न्यायालय ने कहा कि CCI में रहने वाले बच्चों, जनिके माता-पतिा एक वर्ष से अधिकि समय से उनसे मलिनने नहीं आए हैं या जनिके माता-पतिा या अभिावक "अयोग्य" हैं, उनकी पहचान की जानी चाहयि और उन्हें दत्तक श्रेणी के अंतरगत लाना चाहयि।
 - न्यायालय ने 'अयोग्य अभिावक' को एक ऐसे व्यक्तिके रूप में परभिाषति कयिा जो "माता-पतिा बनने के लयि अयोग्य या अनचिष्टुक" है, जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, दुर्व्यवहार या शराब में लपित है, बच्चके के साथ दुर्व्यवहार या उसकी उपेक्षा करता है, जसिका आपराधकि रकिॉर्ड है, जसि सवयं देखभाल की आवश्यकता है या जो मानसकि रूप से अस्वस्थ है आदी।
- न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को CCI में अनाथ-परतियक्त-आत्मसमर्पति (OAS) श्रेणी में बच्चों की पहचान करने हेतु द्वमिसकि अभियान शुरू करने का आदेश दयिा।
- न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को दत्तक ग्रहण के लयि संभावति बच्चों, वशिष रूप से CCI में कमजोर बच्चों पर डेटा संकलति करने तथा वविरण [केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण \(Central Adoption Resource Authority- CARA\)](#) और महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय को सौपने का भी नरिदेश दयिा।
- न्यायालय ने कहा कि राज्यों को भारत में दत्तक ग्रहण के लयि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाइल्ड एडॉप्शन रसिोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ससि्टम (CARINGS) पोर्टल पर ज़लिं के सभी OAS बच्चों का पंजीकरण सुनश्चिति करना चाहयि।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण (CARA) क्या है?


- CARA, महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय का एक वैधानकि नकिय है।
- यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लयि नोडल नकिय है और इसे देश में दत्तक ग्रहण की नगिरानी करने एवं वनियमन का अधकिार है।
- CARA को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थति [हेग कन्वेंशन](#) ऑन इंटरकंट्री एडॉप्शन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Adoptions) की गतविधियिों से नपिटने के लयि केंद्रीय प्राधकिरण के रूप में भी नामति कयिा गया है।
- CARA मुख्य रूप से अपनी संबध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसयिों के माध्यम से अनाथ, परतियक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने का कार्य करता है।

भारत में दत्तक ग्रहण के वर्तमान रुझान तथा आँकड़े क्या हैं?

- CARA के अनुसार, देश में सालाना लगभग 4,000 बच्चे गोद लिये जाते हैं, जबकि वर्ष 2021 तक 3 करोड़ से अधिक अनाथ थे।
- CARA के ऑनलाइन पोर्टल CARINGS के अनुसार, वधिकि रूप से गोद लेने के लिये उपलब्ध बच्चों तथा संभावित दत्तक माता-पिता (Prospective Adoptive Parents- PAPs) की संख्या के बीच भी एक बड़ा अंतराल है।
 - PAPs ऐसे व्यक्ति अथवा युग्म हैं जो दत्तक माता-पिता बनने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
 - CARA द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के राज्य-वार विश्लेषण से पता चला कि अक्टूबर 2023 तक 2,146 बच्चे गोद लेने के लिये उपलब्ध थे।
 - इसके विपरीत अक्टूबर 2023 तक लगभग 30,669 PAPs को देश में गोद लेने के लिये पंजीकृत किया गया है।
 - पंजीकृत PAPs तथा गोद लेने के लिये उपलब्ध बच्चों की संख्या में भारी बेमेल के कारण PAPs को 'स्वस्थ तथा छोटा बच्चा' गोद लेने के लिये तीन से चार वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ती है।
 - CARA के सारणीकरण से पता चलता है कि 69.4% पंजीकृत PAPs शून्य से दो वर्ष की आयु के बच्चों को चुनते हैं; 10.3% दो से चार वर्ष के आयु वर्ग को तथा 14.8% चार से छह वर्ष के आयु वर्ग को चुनते हैं।
- इसके अतिरिक्त देश के 760 ज़िलों में से केवल 390 ज़िलों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण मौजूद हैं।

The number of adoptions in the country has been on the decline for a decade now

In-country adoption



Inter-country adoption



भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

■ लंबी तथा जटिल दत्तक ग्रहण प्रक्रिया:

- भारत में **कशिशर नुयल (डरुऑरु की देखडलल और संरकषण) अधनलनलड, 2015 (ऑसल डलड डें 2021 डें संशुधतल कतल गतल थल)** तथल **हदुल दतुतक एवं डरण-डुषण अधनलनलड, 1956 (HAMA)** दुवलरल शलसतल गुद लेने की डुरकुरतल डें अनेक ऑटलल ऑरण शलडलल हें ।
 - इसके ऑरणु डें डंऑीकरण, गृह अधुततन, डरुऑे कल रेडरल, डललन, सुवलकृतल, गुद लेने से डहले डललन-डुषण की देखडलल, नुतलतललत कल आदेश तथल अनुवरुतल कररुवलई शलडलल हें ।
- **गुद लेने की डुरकुरतल की वसुतलरतल सडत-सीडल** डरुऑे की उडलडडुधतल, डलतल-डतल की डुरलथडकलतलएँ, अधकलरतलडुडु की दकषुतल तथल वधलकल औडऑलरकलतललुऑु जैसे कररुकु से डुरडलवतल हुतल हें ।

■ दत्तक कु वलडस लुडलने की उऑऑ दर:

- वरुष 2017-19 के डलड CARA दुवलरल रडुडरुऑ कतल गए ऑलडलड रदरुन डें असलडलनुत वुदुधऑलतल कल वडुतल हें ।
 - आँकडुके के अनुसलर, **लुडलए गए डरुऑु डें से 60% लडकतलडुडु थुडु, 24% दवलतुंग थु** तथल कई ऑह वरुष से अधकल उडुर के थु ।
 - ऐसी ऑुनलतलडुडु इसलतलडु उतुडनुन हुतल हें कुरुडुऑु दवलतुंग तथल डडे डरुऑु कुदतुतक डुरवलरुडु डें वसुतलरतल सडलतुऑन अवधकल सलडनल करनल डडुतल हें, ऑु नए डलरवलरकल वलतलवरण डें दलने कु लेकर अडुरतुडत तैतलरल तथल संसुथलनुडु से डुरलडरुश के कररण और डु ऑटलल हु ऑलतल हें ।

■ दवलतुंग डरुऑु कल सीडतल दतुतक ग्रहण:

- वरुष 2018 तथल 2019 के डलड केवल 40 दवलतुंग डरुऑु कु गुद लतल गतल, ऑु वरुष डें गुद लतल गए डरुऑु की कुल संखुतल कल लगडग 1% थल ।
 - वलरुषकल रुडुऑलनुडु से डतल ऑलतल हें कल दवलतुंग डरुऑु कु घरेलु तुडुर डुर गुद लेने की संखुतल डें कडुल आरुई हें, ऑु गुद लेने के डुरदुशुतल डें असडलनतल कु उऑलऑर करतल हें ।

■ डलल तसुकुरल के डुदुदे:

- **गुद लेने तुंग डरुऑु की घऑतल संखुतल के कररण अवैध** दतुतक ग्रहण की गतलवलधलतुडु डें वुदुधलहुई हें ।
- डुडलडलरल के दुडुरलन डलल तसुकुरल कल खतरल, वशलष रूड से गरीड तल हलशतल डुर रहने वलले डुरवलरुडु के डुरडलवतल हुने से नैतकल और कलनुनल ऑलतलएँ उतुडनुन हुतल हें ।
- दतुतक ग्रहण के लतल डलल तसुकुरल से कलनुनल दतुतक ग्रहण की डुरकुरतललु की अखंडतल कडडऑर हुतल हें और डुरणललु के डुरतलवलशुवलस की कडुल के कररण सलडलऑकल वुततधलन की सुथतल उतुडनुन हुतल हें ।

■ डलरुडुरकल डलरवलरकल डलनदंड और LGBTQ+ डुरवलरुडु:

- गुद लेने के इऑऑुकु LGBTQ+ डुरवलरुडु के लतल कलनुनल डलनुतल ऑुनलतलडुडु, दतुतक डलतल-डतल डनने की उनकल कषडतल डें डलधल डललतल हें, ऑसलसे सडललुंगकल सडुदलतु के डुडुरल अवैध दतुतक ग्रहण की डुरकुरतल डें वुदुधल हुतल हें ।

■ सलडलऑकल कलंक और ऑलऑरुकुतल की कडुल:

- गुद लेने कु लेकर सलडलऑकल कलंक, वशलष रूड से कुऑ ऑनसलंखुतलडु की लतल गुद लेने की दर कु डुरडलवतल करतल हें ।
- गुद लेने की डुरकुरतल के डलरे डें सीडतल ऑलऑरुकुतल गलत धलरणललु कु डदुवल वुतल हें और डलवल दतुतक डलतल-डतल के लतल डलधलएँ उतुडनुन करतल हें ।

■ डुरषुऑलऑलर और डुकुदडेडलऑुल:

- **दतुतक ग्रहण की डुरकुरतल डें डुरषुऑलऑलर** के डलडले इसकल अखंडतल से सडडुऑुतल करते हें और ऑुनलतलडुडु उतुडनुन करते हें ।
- कलनुनल ववलद और डुकुदडे दतुतक ग्रहण की कररुततलहुी कु और धुडल कर देते हें, ऑसलसे सडगुर डुरकुरतल डें ऑटललतलएँ डदुऑु ऑलतल हें ।

डरुऑु और सडलऑ के लतल दतुतक ग्रहण के कतल ललड हें?

- डलतल-डतल की देखडलल से वंऑतल डरुऑु कु गुद लेने से एक डुरेड डुरल और सुथरल डलरवलरकल डलहलल डलल सकतल हें ।
 - दतुतक ग्रहण से डरुऑु कल सडगुर वकलस और कलतुलण सुनशुऑलतल हु सकतल हें, ऑसलडें उनकल शलरलरकल, डलनसकल, डलवनलतुडक, सलडलऑकल एवं शैकषणकल ऑुरुरतुडु डु शलडलल हें ।
- दतुतक ग्रहण से **रलऑु और सडलऑ डुर डुऑु कड** करके और डरुऑु कु उतुडलदक और ऑुडुडेदलर नलगरकल डनने के लतल सशकतु डनलकर देश के सलडलऑकल एवं आरुथकल वकलस डें डु डुगदलन दतल ऑल सकतल हें ।
 - तलह एक सकलरलतुडक **दतुतक ग्रहण की संसुकृतलवलकलसतल करतल हें, सलडलऑकल कलंक** कु तुडुऑतल हें और दतुतक ग्रहण के ललडु के डलरे डें ऑलऑरुकुतल डदुऑतल हें ।

आगे की रलह

- CCI डें अतुगुतु डलतल-डतल तल अडडललवकु वलले डरुऑु की सकुरतल रूड से डहऑलन करनल, तलह सुनशुऑलतल करनल कऑलनुडु सुथलतुल डुरवलरुडु डें शलडलल हुने कल डुलक देने के लतल तुडुरंत दतुतक ग्रहण शुरेणु डें ललतल ऑलए ।
- नए दतुतक डुरवलरुडु डें सुथलनलतरतल हुने के लतल डरुऑु, वशलष रूड से डडे उडुर के और वकललुंग डरुऑु कु तैतलर करने तथडुरलडरुश देने के लतल संसुथलगत डुरतलसुडु कु डदुऑलन ।
- एक सहऑु ऐकुकरण डुरकुरतल सुनशुऑलतल करते हुए सडलतुऑन ऑुनलतलडुडु कल सडलधलन करने के लतल वुतलडक कररुतुडु वकलसतल करनल ।
- गुद लेने के ललडु, कलंक और गलतडडहडुडु कु दुडुर करने के डलरे डें ऑनतल कु शकलषतल करने के लतल **ऑलऑरुकुतल अडडलन ऑललनल** ।
- गुद लेने के लतल डलल तसुकुरल कु रुकने और अंतुर-देशुतल दतुतक ग्रहण के नतलडु कु डऑडुत करने हेतु अंतुररलषुदुरलतु नकलतुडु के सलथ सहतुग करनल ।
- संसुथलगतकरण के वकललुड के रूड डें डललन-डुषण देखडलल कररुतुडु कु वकलसतल करनल और डदुवल वुतल, गुद लेने की डुरतुलकष कर रहे डरुऑु के

लडल ँक अस्थायी और ढषण वातावरण ढरदान करना ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-urges-to-boost-adoption-pool>

